UBN No: DLB2324SLOB02440

कार्यालय जोधपुर नगर निगम, जोधपुर (दक्षिण)

पोलोटेक्निक कॉलेज रेजीडेन्सी रोड जोधपुर

क्रमांक :– 1443

DLB2324SLOB02440

दिनांक :– 19/4/2023

ई–निविदा सूचना

जोधपुर नगर निगम दक्षिण की और से वार्षिक दर संविदा के आधार पर श्रम विभाग में पंजिकृत फर्मो/ एकल स्वामीयों सहकारी समितियों/कम्पनियों से निर्धारित निविदा प्रपत्र में दो वर्ष के लिए निविदाएं निम्न कार्य के लिये online दो लिफाफा पद्धति में आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र www.sppp.rajasthan.gov.in व eproc.rajasthan.gov.in व jodhpurmc.org से डाउनलोड की जा सकती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि रूपये	निविदा प्रकिया शुल्क	निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये	धरोहर राशि रूपये	निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की तारीख व समय	निविदा ऑनलाईन प्रस्तु करन की अन्तिम तारिख व समय	तकनीकी निविदा खेलने की तारीख व समय
1	जोधपुर नगर निगम उत्तर/ दक्षिण के नान्दडी गौशाला में संविदा के आधार पर (गौपालक/पशुधन सहायक, चारा–पानी, गोबर हटाना, सफाई व पशुओ कि देख–रेख का कार्य	187.00 लाख रू.	5000/-	1000/-	4,00,000/-	21.04.23 11 AM	03.05.23 3 PM	03.05.23 4 PM

सुश्री वनिता सेठ
महापौर
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

क्रमांक

दिनांक:– 19/4/2023

प्रतिलिपि :– 1444 to 1447

1. राजस्थान संवाद जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा को एक राज्य स्तर समाचार पत्र All Rajasthan Edition जिसकी प्रति 50,000 से अधिक को , एक राष्ट्रीय स्तर समाचार पत्र All India Edition न्युनतम साईज में प्रकाशित कर बिल राजकीय दर से भिजवाने की कृपा करावें।
2. वरिष्ठ लेखाधिकारी नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
3. आई.टी. सैल/ मैसर्स एलाईट मन्त्रा नगर निगम, जोधुपर दक्षिण को भेजकर लेख है कि निगम की बेबसाईट jodhpurmc.org एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें ।
4. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

Scanned with CamSca

कार्यालय जोधपुर नगर निगम, जोधपुर (दक्षिण)
पोलोटेक्निक कॉलेज रेजीडन्सी रोड जोधपुर

—:: ई—टेण्डर हेतु निविदा का विवरण ::—

01	निविदाधीन कार्य का नाम	:	जोधपुर नगर निगम उत्तर/दक्षिण के नान्दडी गौशाला में सविदा के आधार पर (गौ पालक) चारा पानी, साफ—सफाई एवं रख—रखाव,बीमार पशु का इलाज हेतु प्रशिक्षित गौपालक उपलब्ध करवाने का कार्य
02	निविदा का संदर्भ	:	क्रमाक.................. दिनांक................
03	निविदा राशि	:	187.00 लाख रू.
04	निविदा शुल्क	:	5,000/— रूपये
05	ई—प्रक्रिया शुल्क		1,000/— रूपये
06	निविदा हेतु घरोहर राशि	:	4,00,000/— रूपये(चार लाख रूपये)
07	निविदा भर कर ऑन लाईन पस्तुत करने की अंतिम तारखि व समय	:	03.05.23 को सायं 3:00 बजे तक
08	तकनीकी निविदा खेलने की तारीख	:	03.05.23 को सायं 4:00 बजे तक
09	कार्य अवधि	:	दो वर्ष के लिये

Scanned with CamSca

कार्यालय जोधपुर नगर निगम, जोधपुर दक्षिण

क्रमांक :

नान्दड़ी पशुगृह (कांजी हाउस) नगर निगम, जोधपुर दक्षिण के लिए गौपालक उपलब्ध करवाने की सेवाओं के उपापन हेतु निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र प्रस्तुत की जायेगी।

क्र.सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन	ई.पी.एफ. दर राशि 13 प्रतिशत	ई. एसआई. 3.25 प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज	कुल राशि (श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन, ई. एस.आई. राशि. ई.पी.एफ. राशि एवं सर्विस चार्ज) कॉलम 4,5,6, व 7 का योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नान्दडी पशुगृह हेतु गौपालक (सभी सामान एवं कर सहित)	अकुशल 72	259	33.67	8.42		
2	प्रशिक्षित गौपालक पशुओं के उपचार हेतु	अर्द्धकुशल 18	271	35.23	8.81		

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
2. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मुलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेते हुए अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

Scanned with CamSca

3. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खाते में ही किया जाएगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। श्रमिकों के बैंक खातों जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जाएगा।
4. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार गौपालकों को मजदूरी के भुगतान का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
5. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए निविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
6. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की न्यूनतम दरों के अनुसार समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
7. संवेदक द्वारा कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रू॰ से अंकित किया जाएगा।
8. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी. एफ. एवं एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
9. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) की राशि अतिरिक्त देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये, वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.

Scanned with CamSca

टी.) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा (जी.एस.टी.) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विधिक दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

10. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

11. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायित्व होगा।

12. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटानें, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

13. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्धटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

14. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

Scanned with CamSca

15. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृति करा रखी हो, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत को सक्षत स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले सम्बन्धित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

16. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग के सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

Scanned with CamSca

कार्यालय जोधपुर नगर निगम, जोधपुर (दक्षिण)

पोलोटेक्निक कॉलेज रेजीडन्सी रोड जोधपुर

–:: निविदा प्रपत्र ::–

1. **संवेदक का नाम व पता**—————————————————

वमो. नं..

2. **कार्य का नाम** : जोधपुर नगर निगम उत्तर/दक्षिण के नान्दडी गौशाला में संविदा के आधार पर गौपालकचारा पानी, साफ–सफाई एवं बीमार पशुओ कीचिकित्सा एवं देखरेख की व्यवस्थाहेतु प्रशिक्षित गोपालकउपलब्ध करवाना।

3. **संवेदक की योग्यता** :–

1 श्रम विभाग का श्रमिक ठेका लाइसेंसधारी होना चाहिये।

2 वित्तिय रूप से सक्षम होना चाहिये। गत तीन वित्तिय वर्ष का औसत टर्न ओवर कम से कम 25 लाख रूपये वार्षिक होना चाहिए ।

3 सरकारी/अर्द्व सरकारी संस्थान में गत पाँच वषो मेंएक वर्ष या अधिक समय तक के लियेकम से कम 90 गौपालक उपलब्ध करवाने का अनुभव होना चाहिए (मशीन आधारित कार्य का अनुभव मान्य नही होगा) ।

4 पशुओं के इलाज हेतु उपलब्ध गौ–पालक (पशुधन सहायक) के पास प्रशिक्षण का प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

5 संवेदक PANधारक होना चाहिए।

6 गुड्स एण्ड सर्विस टेक्स (GST) पंजीकृत होना चाहिये ।

7 संवेदक कर्मचारी राज्य बीमा (E.S.I.)एवं भविष्य निधी (P.F.) विभाग में पंजीकृत होना चाहिए इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जायेगी ।

8 हैसियत प्रमाण पत्र न्यूनतम 50.00 लाख का मान्य होगा जो 1.4.2020 के बाद का होना चाहिए।

Scanned with CamSca

9 संवेदक को तकनीकी निविदा के साथ उपलब्ध कराये गये गौपालकों के पिछले एक वर्ष की पी.एफ./ई. एस.आई जमा की प्रति संलग्न करनी आवश्यक है ।

4. कार्य की अवधिः–

कार्य की अवधि निष्पादन/कार्य–आदेश तारीख से दो वर्ष की होगी। विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार कार्य अवधि घटाई/बढायी जा सकती है ।

5. संवेदक को निर्देश –

1. निविदा शुल्क व ई–प्रकिया शुल्क की राशि वापस नही दी जायेगी ।
2. निविदा प्रस्तुत करने के लिये सभी व्यय संवेदक द्वारा वहन किया जायेगा।
3. निविदा के सम्बन्धित कार्य, स्थान इत्यादि की जानकारी प्राप्त कर निविदा दर प्रस्तुत करे।
4. आपकी दर निर्धारित ई–प्रपत्र में भरें।
5. किसी भी प्रकार की जानकारी के लिये वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/कार्यालय अधीक्षक, नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) से सम्पर्क करे ।
6. ई –प्रक्रिया शुल्क 1000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट, M.D. R.I.S.L. JAIPUR का जयपुर में देय प्रस्तुत करें । डिमाण्ड ड्राफ्ट की स्केन प्रति तकनीकी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करनी होगी एवं मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट, आवेदन के साथ नगर निगम, जोधपुर कार्यालय में दिनांक.............. को सायं 3.00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा । इसके अभाव में निविदा पर विचार नही किया जायेगा ।
7. निविदा शुल्क रूपये 5000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट,/ बैंकर्स चैक "Commissioner Nagar Nigam Jodhpur South" के नाम जोधपुर में देय प्रस्तुत करना होगा । डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक की स्केन प्रति तकनीकी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करनी होगी एवं मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट,/ बैंकर्स चैक आवेदन के साथ दिनांक................. को सायं 3.00 बजे तक निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव मे निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
8. सभी करो सहित दर निर्धारित प्रपत्र मे प्रस्तुत करे। सशर्त निविदा मान्य नही होगी।

Scanned with CamSca

9. संवेदक एक या अधिक व्यक्ति/ फर्म के साथ Joint Venture कर निविदा प्रस्तुत कर सकता है ।

10. **जोईन्ट वेन्चर बनाकर निविदा करने पर संवेदक द्वारा :–**

(क) फर्मो/व्यक्तियो के जोइन्ट वेन्चर गठन के पंजीकरण की सत्यापित फोटो प्रति प्रस्तुत करेगा। पंजीकरण निविदा की दिनांक से पूर्व होना चाहिये।

(ख) निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने निविदा के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले पत्र हस्ताक्षर करने एवं वित्तिय प्रस्ताव प्रस्तुत करने, नगर निगम को पत्र देने व प्राप्त करने के लिये अधिकार पत्र, सभी पार्टनर का हस्ताक्षर किया हुआ, प्रस्तुत करेगा।

(ग) जोइन्ट वेचर के रूप में प्रत्येक पार्टनर संविदा कार्य को करने कें लिये संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगा तथा प्रत्येक पार्टनर व्यक्तिगत रूप से भी कार्य के लिए विधिक रूप से उत्तरदायी होगे।

(घ) सफल संवेदक होने की स्थिति मे अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने व अन्य कार्य करने के लिए अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(ड) जोईन्ट वेन्चर के अनुबन्ध में मुख्य व्यक्तियों की जिम्मेदारियों, संसाधनों, एवं कार्य के लिये वित्तिय स्थिति की पूर्ण जानकारी अंकित की जानी चाहिए ।

6. निविदा प्रपत्र में संशोधन :–

1. नगर निगम जोधपुर दक्षिण निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख तक प्रशासनिक, तकनीकी या किसी भी कारण से निविदा में संशोधन कर सकती है जो कि www.eproc.rajashan.gov.in एवं www.sppp.rajasthsn.in वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा।
2. संशोधन निविदा प्रपत्र का भाग माना जायेगा।

7. निविदा की वैधता :–

1. निविदा की वैधता निविदा खोलने की तारीख से 90 दिवस तक होगी।

Scanned with CamSca

2. किसी कारणवश निविदा का निर्णय वैधता की अवधि में नही हो तो नगर निगम 30 दिवस के लिये वैधता अवधि बढाने का आग्रह कर सकती है। निविदादाता को इसे स्व–विवक से स्वीकर कर सहमति देनी होगी ।

8. धरोहर राशि :–

1. "Commissioner Nagar Nigam Jodhpur South के नाम का जोधपुर में देय 4.00 लाख रूपये के बैक डिमाण्ड ड्राफट/बैंकर्स चैक/बैंक गारन्टी (शिड्यूल बैंक से) की स्केन प्रति तकनीकी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करनी होगी तथा मूल बैक डिमाण्ड ड्राफट/बैंकर्स चैक/बैंक गारन्टी के साथ नगर निगम दक्षिण कार्यालय में दिनांक 03.05.23 को सायं 3:00 बजे तक जमा करवाना होगा ।
2. निविदादाता पर अन्तिम निर्णय होने व कार्यादेश जारी करने के पश्चात सफल निविदाता के अलावा शेष निविदादाताओं को मांग करने पर (धरोहर राशि) बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी ।

9. निविदा प्रस्तुत करना :–

1. निविदा दो स्तरीय बिड पद्धति के अनुसार दिनांक..........................का सायं 3.00 बजे तक electronically आमंत्रित की गयी है । एक प्रस्ताव मे तकनीकी सूचना प्रस्तुत करे एवं प्रपत्र 2 में वित्तिय प्रस्ताव (दर) अंकित कर प्रस्तुत करावें।
2. पत्राचार हेतु नगर निगम का पता :–

"आयुक्त"

जोधपुर नगर निगम, जोधपुर (दक्षिण)
पोलोटेक्निक कॉलेज के अन्दर, गौरव पथ,जोधपुर।
फोन नं. 0291 2651464

संवेदक का पत्राचार हेतु पता (संवेदक अपना स्थाईपता, फेक्स, ई–मेल, फोन नं. अंकित करें)

____

____

____

Scanned with CamSca

3. तकनीकी प्रस्ताव के साथ निविदादाता द्वारा निम्न पत्र/कागजात हस्ताक्षर कर सील लगा अपलोड किये जावेंगे ।

(i) ई टेण्डरिंग फीस, निविदा शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक की स्केन प्रति, धरोहर राशि के बैक डिमाण्ड ड्राफट/बैंकर्स चैक/बैंक गारन्टी (शिड्यूल बैक से) की स्केन प्रति।

(ii) जोइन्ट वेन्चर या फर्म के एक से अधिक पार्टनर होने पर निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर करने के लिये दी गई पॉवर ऑफ एटार्नी एवं पंजीकृत अनुबन्ध की स्केन प्रति।

(iii) लेबर लाईसेन्स, पेन कार्ड, जीएसटी के प्रमाण पत्र की स्केन प्रति।

(iv) प्रपत्र–1 के अनुसार 100/– रू. के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर अन्डर टेकिग की स्केन प्रति।

(v) कार्य के अनुभव के किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की स्केन प्रति।

(vi) टर्न ओवर के प्रमाण स्वरूप सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र या गत तीन वर्षो के सी.ए. द्वारा अंकेक्षित बेलेन्स शीट या आयकर विभाग में प्रस्तुत गत तीन वषो की आयकर रिटर्न की स्केन प्रति।

(vii) निविदादाता के कर्मचारी **राज्य बीमा (E.S.I.) एवं भविष्य निधी (P.F.) विभाग में पंजीकृत** होने संबंधित विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्केन प्रति।

(viii) निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर आवेदक के हस्ताक्षर व सील लगाकर निविदा प्रपत्र की स्केन प्रति ।

विशेष : **ई–टेण्डरिंग फीस, निविदा शुल्क के डी.डी./बैंकर्स चैक की मूल कापी, धरोहर राशि के मूल बैंक डिमाण्ड ड्राफट/बैंकर्स चैक/बैंक गारन्टी (शिड्यूल बैक से) व मूल अण्डरटेकिंग प्रपत्र 1 दिनांक 03.05.23 का सायं 3.00 बजे तक आवेदन सहित निगम कार्यालय में प्रस्तुत करावें।**

Scanned with CamSca

10. **निविदा खोलना :–**

1. निर्धारित समय दिनांक 03.05.23 को सायं 3.00 बजे तक प्राप्त निविदाओ में तकनीकी प्रस्ताव दिनांक 03.05.23 को सायं 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खेला जायेगा ।
2. ई–टेण्डरिंग फीस, निविदा शुल्क के बैक डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक व धरोहर राशि के मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक, बैंक गारन्टी, अण्डर टेकिग की मूल प्रति निर्धारित समय तक प्रस्तुत नही करने पर निविदा नही खेली जायेगी ।
3. तकनीकी प्रस्तावो की निर्धारित मापदण्डो के अनुरूप जांच उपरान्त योग्य संवेदको के ही वित्तिय प्रस्ताव खोले जावेगे। योग्य संवेदको को वित्तिय प्रस्ताव खोलने की तारीख व समय की सूचना वेबसाईट से दी जावेगी ।
4. संवेदक वित्तिय प्रस्ताव संलग्न निर्धारित प्रपत्र 2 में ही प्रस्तुत करेंगे ।

11. **निविदा निरस्त करना :–**

तकनीकी प्रस्ताव के साथ निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत नही करने एवं निर्धारित योग्यता पूर्ण नही करने पर निविदादाता को तकनीकी रूप से अयोग्य धोषित किया जायेगा एवं उनका वित्तिय प्रस्ताव नही खोला जाएगा ।

12. **निविदा स्वीकार करना :**

1. तकनीकी रूप से योग्य संवेदको के वित्तिय प्रस्ताव खोलने की तारीख पृथक से निर्धारित कर Website के माध्यम से सूचना दी जावेगी
2. तकनीकी रूप से अयोग्य पाये गये संवेदको के वित्तिय प्रस्ताव नही खेले जायेगे।
3. नगर निगम दक्षिण को निविदा स्वीकार करने, अस्वीकार करने, आंशिक स्वीकार करने, निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
4. न्यूनतम निविदा दर स्वीकार करने के लिये नगर निगम दक्षिण बाध्य नही होगा। कार्यादेश देने के पूर्व तक नगर निगम सभी निविदाओ को निरस्त कर सकती है।
5. संवेदक की प्रस्तुत दर पर नगर निगम संवेदक से दर का विश्लेषण मांग सकती है।

Scanned with CamSca

6. नगर निगम दक्षिण कार्यादेश देने से पूर्व सफल संवेदक को (दरे स्वीकार करने की सूचना) व निम्न औपारिकताएँ 7 दिवस में पूर्ण करने हेतु पत्र देगीः–

(क) अनुबन्ध पत्र निर्धारित राशि के 5500/- /- नॉन ज्यूडि्शियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करने हेतु ।

(ख) निविदा राशि के 5.0 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक शिड्यूल बैंक की बैक गारण्टी "Commissioner Nagar Nigam Jodhpur South के नाम जोधपुर में देय प्रस्तुत करने हेतु।

(ग) 200 श्रमिकों का दो वर्षो का सामूहिक दुर्घटना बीमा के पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने हेतु। सामुहिक दुर्घटना बीमा एक एक वर्ष के लिए भी करवाया जा सकता है ।

7. सफल संवेदक द्वारा निर्धारित समय में सभी औपचारिकताएँ पूर्ण नही करने पर निविदा निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

8. सभी औपचारिकताएँ निर्धारित समय मे पूर्ण करने पर सफल संवेदक को कार्यादेश दिया जायेगा ।

9. कार्यादेश देने के 7 दिवस के अन्दर कार्य प्रारम्भ करना होगा ।

13. कार्य के नियम व शर्ते :–

1. निविदादाता द्वारा कार्य के लिये दरे गौपालक/पशुधन सहायक प्रतिदिन के आधार पर अंकित करनी होगी।
2. दर सभी प्रचलित करो एवं आवश्यक सामान यथा तगारी, गैन्ती, बाल्टी, रस्सी सीढी, झाडू आदि सहित होगी, अर्थात गौपालक/पशुधन सहायक को सामान संवेदक द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।
3. नशीला पदार्थ सेवन किया हुआ, शारीरिक रूप से असक्षम, बाल श्रमिक से कार्य नही लिया जावेगा।
4. कार्य 24 घन्टे में दिन में दो पारी मे करवाया जायेगा। आवश्यकतानुसार समय बदला जा सकता है, लेकिन कार्य समय एक पारी की अवधि 8 घन्टे से अधिक नही होगा, आवश्यकता होने पर रात्रि में भी कार्य करना होगा।

Scanned with CamSca

5. कार्य समय में कार्य स्थल पर जाते समय या कार्य करते समय किसी प्रकार की प्राकृतिक/अप्राकृतिक घटना/दुर्घटना से जनसाधारण या गौपालक/पशुधन सहायक के घायल होने/मृत्यु/चोट लगने पर सभी उत्तरदायित्व (वित्तिय एवं विधिक)संवेदक की होगी। नगर निगम किसी भी प्रकार से किसी भी स्तर पर विधिक या अन्य रूप से उत्तरदायी नही होगी।

6. कार्य समय में होने वाली दुर्घटना की पूर्ण जानकारी आगामी दिवस को लिखित में निगम प्रस्तुत करनी होगी।

7. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति मे आयुक्त, सम्बन्धित उपायुक्त, वरिष्ठ लेखाधिकारी, सफल संवेदक की मध्य वार्ताकर निर्णय लिया जावेगा, जो दोनो पक्षो को मान्य होगा, वाद हेतु न्याय क्षैत्र जोधपुर होगा।

8. बिन्दु 7 के अनुसार लिये गये निर्णय के विरूद्ध 30 दिवस में महापौर, नगर निगम जोधपुर दक्षिण को अपील की जायेगी। महापौर नगर निगम जोधपुर दक्षिण आरबिट्रेटर अधिकारी होगे।

9. प्रत्येक माह बिल के साथ गौपालक/पशुधन सहायक के जमा कराये गये ई.एस. आई. व पी.एफ. की रसीद देनी होगी। निगम गौपालक/पशुधन सहायक के भुगतान आदि के पत्र मांग सकती है। गत माह के ई.एस.आई. व पी.एफ जमा करने के सबूत (चालान मय गौपालक/पशुधन सहायक की सूची) पेश करने के बाद ही अगले माह की भुगतान प्रक्रिया शुरू की जायेगी।

10. कार्यरत गौपालक/पशुधन सहायक का विवरण, पहचान, पता सहित नगर निगम जोधपुर दक्षिण को देना होगा। न्यूनतम वेतन अधिनियम एवं प्रचलित राज्य व केन्द्र श्रमिक से संबंधित सुरक्षा नियम/आदेश आदि की पालना संवेदक को अपने स्तर पर सुनिश्चित करनी होगी।

11. संवेदक द्वारा अपने व्यय से सुरक्षात्मक वस्त्र व उपकरण गौपालक/पशुधन सहायक को उपलब्ध कराकर ही कार्य पर भेजना होगा। सुरक्षात्मक वस्त्र व उपकरण के अभाव में होने वाली दुर्घटना के लिये संवेदक पूर्णतया उत्तरदायी होगा।

Scanned with CamSca

12. पशुगृह के सभी बाड़ों की सम्पूर्ण सफाई करनी होगी। कार्य अवधि 8 घण्टा प्रतिदिन रहेगी ।

13. संवेदक बाड़ों मे प्रतिदिन कराये गए सफाई कार्य एवं गौपालक/पशुधन सहायको की संख्या का प्रमाणिकरण सम्बन्धित पशुगृह प्रभारी से प्रपत्र 03 मे करवाकर बिल के साथ प्रस्तुत करेगा। इसके अभाव मे भुगतान देय नही होगा।

14. संवेदक के द्वारा सभी गौपालक/पशुधन सहायक का भुगतान उनके बैक खाते में जमा करना होगा तथा उसकी सूचना खाता नं. सहित निगम को देनी होगी अन्यथा आगामी माह का भुगतान नही किया जायेगा।

14. शास्तियाँ :–

संवेदक द्वारा निर्धारित संख्या में गौपालक/पशुधन सहायक उपलब्ध नहीं कराने अथवा निर्धारित पशुगृह के समस्त बाड़ो में पूर्ण व संतोषप्रद सफाई नहीं करने पर निम्नानुसार शास्ती काट जावेगी –

1. संवेदक द्वारा आदेशित संख्या से कम संख्या में गौपालक/पशुधन सहायक उपलब्ध कराने पर 110/– रूपये प्रति गौपालक/पशुधन सहायक की शास्ती काट ली जावेगी एवं आदेशित संख्या से कम उपलब्ध कराये गये गौपालक/पशुधन सहायक का भुगतान नही होगा।
2. कार्य समय में वर्दी पहनकर नही आने पर 100.00 रूपये प्रतिदिन प्रति गौपालक/पशुधन सहायक शास्ती काट ली जायेगी।
3. सुरक्षा उपकरणो के अभाव में कार्य करने पर 100/– प्रति गौपालक/ पशुधन सहायक प्रतिदिन की शास्ती काट ली जायेगी ।

15. निरस्तीकरण :–

1. आदेश देने के पश्चात् गौपालक/पशुधन सहायक उपलब्ध नही कराने या कार्य अवधि में बिना सूचना गौपालक/पशुधन सहायक बन्द करने पर ।
2. असंवैधानिक या भ्रष्ट तरीके अपनाने पर।
3. निविदा राशि के 10 प्रतिशत से अधिक शास्ती कटौती होने पर ।

Scanned with CamSca

4. संवेदक द्वारा वांछित संख्या में गौपालक/पशुधन सहायक उपलब्ध नही करने के कारण संवेदक को दो नोटिस देकर कार्य निरस्त किया जा सकता है ।
5. निविद प्रपत्र, अनुबन्ध एवं निगम के निर्देशों की पालना नही करने पर।
6. उपरोक्त के अतिरिक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण न्यायालय के आदेश, राज्य या केन्द्र सरकार के आदेश अथवा प्रशासनिक/वित्तीय कारणों से किसी भी समय कार्य आदेश निरस्त कर सकती है । इसके लिये किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति भुगतान देय नही होगा ।

उपरोक्त बिन्दु 15.1 से 15.5 में निरस्तीकरण करने पर संवेदक की प्रतिभूति राशि एवं समस्त बकाया भुगतान की राशि जब्त कर ब्लेक लिस्ट किया जायेगा। लेकिन बिन्दु 15.6 में निरस्तीकरण पर संवेदक को वास्तविक कार्य दिवस का भुगतान, एवं प्रतिभूति राशि का भुगतान किया जावेगा ।

16. भुगतान :–

1. संवेदक प्रत्येक माह के बिल आगामी माह की 10 तारीख तक भुगतान हेतु प्रभारी नान्दडी से प्रमाणित कराते हुए उपायुक्त (राजस्व) नगर निगम, जोधपुर दक्षिण को प्रस्तुत करेगा ।
2. संवेदक बिल के साथ 8 घन्टे में पशुगृह में कराये गये सफाई कार्य की प्रतिदिन की प्रमाणित मूल प्रति (प्रपत्र 3) तथा गौपालक/पशुधन सहायक के ई.एस. आई. एवं पी. एफ. राशि के भुगतान की रसीद (चालान मय गौपालक/पशुधन सहायक की सूची) की प्रमाणित प्रति बिल के साथ प्रस्तुत करेगा । इसके अभाव मे भुगतान देय नही होगा ।
3. उपायुक्त (राजस्व) द्वारा अधिकतम 2 दिवस में निरीक्षण परीक्षा एवं शास्ती आदि की कटौतिया कर शेष राशि का बिल अपनी अभिशंषा के साथ बिल को प्रमाणीकरण पश्चात् लेखा शाखा को भेजेंगे। उपायुक्त (राजस्व) के प्रमाणीकरण के बाद ही बिलो का भुगतान किया जावेगा।

Scanned with CamSca

17. कार्य का विवरण :–

1. जोधपुर नगर निगम (उत्तर/दक्षिण) नान्दडी पशुगृह में लाये गये निराश्रित पशुओ को चारा–पानी, गोबर हटाना सफाई का कार्य एवं नान्दडी पशुगृह (कांजी हाउस) के परिसर में स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सक की देख रेख में गौपालक उपलब्ध कराना।
2. नान्दडी पशुगृह को 90 गोपालक के उपलब्ध कराने का अनुपात 80 प्रतिशत व 20 प्रतिशत प्रशिक्षित गोपालक (पशुधन सहायक) उपलब्ध कराने होगे। राजकीय पशु चिकित्सालय में पशुओ के सार सम्भाल एवं सफाई कार्य के लिये गोपालक उपलब्ध कराना। राजकीय पशु चिकित्सक की देख रेख में नान्दडी पशुगृह नगर निगम जोधपुर द्वारा पशु चिकित्सक नियुक्त नही होने से पशुगृह में राजकीय पशु चिकित्सालय के चिकित्सकों की उपस्थिति या उनसे प्राप्त निर्देशनुसार पशु का इलाज हेतु कार्य करना होगा।

आयुक्त
जोधपुर नगर निगम (दक्षिण)

निविदा प्रपत्र पढ व समझ लिया है। इसी पूर्ण पालना करने को सहमत है। हम अपनी दर निविदा प्रपत्र में भरकर प्रस्तुत कर रहे है ।

हस्ताक्षर
संवदक सील सहित

Scanned with CamSca

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण
पोलोटेक्निक कॉलेज रेजीडन्सी रोड जोधपुर

वित्तिय प्रस्ताव

जोधपुर नगर निगम उत्तर/दक्षिण के नान्दडी गौशाला में संविदा के आधार पर चारा–पानी, साफ–सफाई हेतु गौपालक एवं बीमार पशुओं की चिकित्सा एव देखरेख की व्यवस्था के लिए प्रशिक्षित गोपालक उपलब्ध करवाने हेतु।

कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्युनतम मजदुरी प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन	E.P.F. 13%	E.S.I. 3.25%	सर्विस चार्ज	संवेदाक द्वारा प्रस्तुत दर प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन
3.	4.	5.	6.	7.	8.
अकुशल	259.00	33.67	8.42		
अर्द्धकुशल	271.00	35.23	8.81		

Scanned with CamSca

तकनीकी निविदा/बोली – चैक लिस्ट

(नान्दडी पशुगृह (कांजी हाउस नगर निगम जोधपुर के लिए गौपालक उपलब्ध कराना)

बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण/दस्तावेज निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा।

विवरण	रजि सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्न है या नहीं
निविदा/बोली शुल्क रू. 5000/– (रूपये पांच हजार मात्र) की डी.डी./बैंकर चैक जो आयुक्त नगर निगम, जोधपुर दक्षिण के नाम से संलग्न करनी होगी।				
ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क रू. 1000/– रूपये (एक हजार मात्र) की डी.डी./बैंकर चैक M.D. RISL JAIPUR के नाम				
निविदा/बोली अमानत राशि रूपये 4,00,000 (रूपये चार लाख रूपये मात्र) मूल डी.डी/बैंकर चैक जो आयुक्त नगर निगम, जोधपुर दक्षिण के नाम से संलग्न करनी होगी।				
निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ की स्व–प्रमाणित प्रति।				
राजस्थान अनुबंधित श्रमिक अधिनियम एवं उन्मूलन, अधिनियम, 1970				
कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के पंजीयन की स्व हस्ताक्षरित प्रति।				
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के पंजीयन की स्व हस्ताक्षरित प्रति।				
वस्तु एवं सेवा कर (GST) के पंजीयन की स्व हस्ताक्षरित प्रति।				
आयकर (पैन नम्बर)				
राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्त 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्त 1956 के अन्तर्गत पंजीयन की स्व हस्ताक्षरित प्रति।				
गत तीन वर्षों में औसतन प्रतिवर्ष 25.00 लाख टर्न ओवर की सी.ए. द्वारा जारी टर्न ओवर सर्टिफिकेट अथवा ऑडिट रिर्पोट्स की स्व–प्रमाणित फोटो प्रतियां।				
नगर निगम/परिषद्/पालिका/नगर विकास न्यास/जेडीए या अन्य सरकारी विभाग में गत पांच वित्तीय वर्षों में एक वर्ष या अधिक समय तक एक कार्य के लिए कम से कम 90 गोपालक (जिनको 200 पशु संख्या देखभाल) उपलब्ध करवाना। मशीन आधारित कार्य का अनुभव मान्य नहीं होगा।				

Scanned with CamSca

वेदक वित्तीय रूप से सक्षम होना चाहिए अर्थात् वह गत तीन वित्तीय वर्षों में कोई एक प्रति वर्ष 50.00 लाख परिसम्पत्तियों का स्वामित्व रखता हो, इससे बंधित कोई दस्तोवज प्राधिकृत अधिकारी से जारी हैसियतनामा निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है। (हैसियतनामा .4.2020 के पश्चात् का जारी किया हुआ होना चाहिए) यदि निविदादाता जोईन्ट वेन्चर में निविदा प्रस्तुत हो तो किसी एक या एक से अधिक भागीदार के हक में जारी हैसियत प्रमाण पत्र जारी मान्य होगा।		
पशुओं के इलाज हेतु उपलब्ध गौ–पालक (पशुधन सहायक) के पास प्रशिक्षण का प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है। प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।		
संयुक्त उद्यम का अनुबंध तथा मुख्य बोलीदाता का अधिकार पत्र (यदि लागू हो तो) की स्व. हस्ताक्षरित फोटो प्रतियां।		
निविदादाता को रूपये 100 के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा सत्यापित इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, उसके द्वारा समस्त निविदा को भलीभांति पढ लिया व समझ लिया गया हैं एवं प्रत्येक दस्तोवज पर हस्ताक्षर कर प्रमाणित कर दिये गये है। संस्था/फर्म का कोई भी निदेशक/प्रबंधक/प्रोराईटर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध व्यक्ति को संविदा के अन्तर्गत सेवा पर नहीं भेजा/लगाया जायेगा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तोवेज एवं तथ्य पूर्णतया सत्य है एवं इसके पूर्ण/आंशिक असत्यता के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।		
जोधपुर नगर निगम दक्षिण कार्यालय में परिवार का कोई सदस्य सेवारत नही होना चाहिए।		

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

निविदादाता का नाम...

पता..

Scanned with CamSca

(100/– नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

प्रपत्र–1

–:: अण्डर–टेकिंग ::–

निविदा के लिये मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी पत्र व जानरियां सही व सत्य है, यदि यह गलत व असत्य पायी गयी तो मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर मेरी/हमारी जमा धरोहर राशि जब्त करने के लिये नगर निगम अधिकृत हैं।

मेरे/हम को यह ज्ञात है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत पत्र/जानकारी निविदा के कार्य समय में कभी भी असत्य व गलत पायी जाने पर मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा धरोहर राशि व भुगतान आदि राशि जब्त कर ली जावेगी।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि मैंने/हमने कार्य स्थल तथा कार्य विवरण को देख समझ लिया है। मैं/हम स्वीकार करते है कि हमारी जमा की गई धरोहर राशि तथा काटी जाने वाली सिक्योरिटी डिपोजिट पर ब्याज देय नहीं होगा तथा अगर मैंने/हमनें (1) अपनी निविदा दर की वैधता 90 दिवस से कम समय के लिये प्रस्तुत की (2) दरें स्वीकृति के पश्चात् निविदा के निर्देशों की निर्धारित समय में पालना नहीं की (3) आदेशित कार्य समय पर प्रारम्भ नहीं किया (4) निविदा प्रपत्र के व नगर निगम के आदेश/निर्देशों की पालना नहीं की तो नगर निगम जोधपुर दक्षिण द्वारा निविदा निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

मुझे/हमें यह ज्ञात है कि सिक्योरिटी डिपोजिट का कार्य समाप्त होने के पश्चात् मांग करने पर बिना ब्याज के भुगतान किया जावेगा।

निविदा स्वीकार होने पर निविदा के नियम, शर्तो संलग्न प्रपत्रों आदेशों की पालना करने के लिये मैं/हम बाध्य है तथा सहमति देते हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि नगर निगम प्रशासनिक, विधिक या अन्य किसी कारण से किसी भी समय कार्यादेश को निरस्त कर सकती है तथा इसका कोई क्षतिपूर्ति भुगतान नहीं किया जावेगा। इसकी मैं/हम सहमति देते है।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैं/हमारी फर्म कहीं पर भी ब्लैक लिस्टेट नहीं है।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि मैं/हमारा कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नगर निगम, जोधपुर में कार्यरत नहीं है।

निविदादाता का नाम :–

पता :–

फोन नम्बर :– **दिनांक :–** **हस्ताक्षर**

गवाह नाम :– **पता :–**

(नोटः– जो लागू ना हो वह काट दिया जावें) **हस्ताक्षर**

Scanned with CamSca